महत्वपूर्ण एवं खास

स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों पर अनंतिम मेरिट सूची जारी

रायगढ़। रायगढ़ जिले में फार्मासिस्ट ग्रेड-02, ड्रेसर ग्रेड-1, ड्रेसर गे्रड-2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरूष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला एवं डार्करूम असिस्टेंट के पद पर भर्ती किए जाने हेतु अनंतिम मेरिट सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है एवं जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अपलोड किया गया है।

निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण हेतु 11 दिसम्बर तक मंगाए गए निविदा

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत जिला रायगढ़ के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ के निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म 500 रुपये जमा कर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 23 से निविदा प्रकाशन तिथि से दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को अपरान्ह 1 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित फार्म में पूर्ण रूप से भरी निविदा रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 23 में 11 दिसम्बर 2024 को अपरान्ह 2 बजे तक ही प्राप्त की जाएगी और उसी दिन अपरान्ह 4 बजे इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 21 में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा खोली जाएगी। निविदा से संबंधित जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

पुलिस विभाग के कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर

आवेदन पत्र सीजीपीएससी की वेबसाइट में जमा होगा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पुलिस (गृह) विभाग के सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक संवर्ग (विशेष शाखा, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज, कंप्यूटर, साइबर क्राइम) के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 है। विज्ञापन, योग्यता और ऑनलाइन आवेदन की सभी जानकारी वेबसाइट पीएससी डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन https://psc.cg.gov.in/ पर उपलब्ध है।

चक्रधरनगर पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाई तेज, 9 लीटर महुआ शराब के साथ महिला को किया गिरफ्तार

रायगढ़। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस की अवैध शराब पर कार्रवाई लगातार जारी है। आज दोपहर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लामीदरहा के एक घर में एक व्यक्ति बाड़ी में महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक और कार्रवाई

के लिए थाना प्रभारी ने प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू के साथ पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की और वहां एक महिला को गिरफ्तार किया, जो घर के बाड़ी में शराब रखे हुए थी। महिला ने अपनी पहचान आशा एक्का पत्नी स्व. भगतराम एक्का, निवासी लामीदरहा के रूप में बताई। महिला के पास से पुलिस ने 9 लीटर महुआ शराब बरामद की, जो पांच लीटर की प्लास्टिक जरीकेन और दो-दो लीटर की दो प्लास्टिक बोतलों में भरी हुई थी। यह शराब कुल 900 रुपये की थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। इस रेड कार्रवाई में प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, चंद्र कुमार बंजारे, मिनकेतन पटेल और महिला आरक्षक दरोथिया किण्डो शामिल थे। पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और भी तेज करने का संकेत दिया है।

हत्या के 24 घंटे के भीतर लैलूंगा पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, पत्नी निकली पति की कातिल

❐ लैलूंगा पुलिस ने हत्या के अपराध में आरोपिया को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर, लैलूंगा के पहाड़लुडेग की घटना

रायगढ़

लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़लुडेग में युवक निलांबर यादव (28) की हत्या मामला को लैलूंगा पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया। हत्या के पीछे मृतक की पत्नी तिलासो माझी का हाथ होने का खुलासा हुआ, जिसने पति की चरित्र शंका और प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर धारदार हथियार (टांगी) से पति को मार डाला।

घटना का विवरण-

जानकारी के अनुसार 16 नवंबर की सुबह, ग्राम पहाड़ लुडेग में निलांबर यादव का शव उसके घर में खाट पर पड़ा मिला। उसके गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक राजेश जांगड़े ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक के चचेरे भाई सेतराम राउत ने बताया कि निलांबर आठ साल पहले तिलासो माझी को पत्नी बनाकर घर लाया था। दोनों का चार साल का बेटा भी है। घटना के दिन गांव में कार्तिकेश्वर मेला था, जहां परिवार के अन्य सदस्य गए थे। सुबह निलांबर की हत्या की सूचना मिलने पर घर पहुंचे तो शव खाट पर पड़ा मिला। अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस की कार्रवाई-

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर लैलूंगा थाना प्रभारी और उनकी टीम ने जांच तेज की। घटनास्थल की गहन पड़ताल और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत जुटाए गए। पूछताछ के दौरान पत्नी तिलासो माझी पर शक गहराया।

कड़ी पूछताछ में तिलासो ने कबूल किया कि उसने 16 नवंबर को भोर में अपने पति निलांबर यादव की हत्या की। उसने बताया कि मेला देखने के बाद रात तीन बजे वह घर लौटी और पति के साथ सो गई। सुबह जब वह दोबारा मेला जाने की तैयारी कर रही थी, तो दोनों में झगड़ा हुआ। चरित्र शंका और प्रताड़ना से परेशान होकर उसने घर में रखी टांगी से निलांबर के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या में प्रयुक्त टांगी बरामद

तिलासो माझी ने हत्या में प्रयुक्त टांगी को पुलिस के सामने पेश किया, जिसे जब्त कर लिया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

अपराध के खुलासे में शामिल पुलिस टीम

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में इस मामले का पटाक्षेप हुआ। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, उप निरीक्षक मानकुंवर सिदार, सहायक उपनिरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक रामरतन भगत, जयशरण चन्द्रा आरक्षक मयाराम राठिया, सुरेश मिंज त्वरित कार्रवाई और दक्षता की प्रशंसा की जा रही है। पुलिस ने एक जघन्य हत्या के मामले को तेजी से सुलझाकर न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

रायगढ़ का निशांत केबीसी में बन गया लखपति

रायगढ़ । आरएनएस

किस्मत साथ दे तो तकदीर पलटने में देर नहीं लगती और रायगढ़ का रहने वाला माया नगरी मुंबई जाकर अपने हौंसले से लखपति बनकर लौट सकता है। कुछ यही कहानी है रायगढ़ शहर के रहने वाले निशांत जायसवाल की जो कि कौन बनेगा करोड़पति के खेल में लखपति बनकर अब रायगढ़ लौट आए हैं।

शहर के रहने वाले सुभाषनगर कॉलोनी के निवासी निशांत जायसवाल के पिता यूं तो कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास छोटी पान की दुकान कभी चलाया करते थे। कभी पान ठेला तो कभी पानी पुरी बेचकर उसके पिता ने उसे बड़ा किया। भले ही उसके पिता आज उसकी कामयाबी को महसूस करने के लिए उसके साथ दुनिया में नहीं हों लेकिन उनकी दुआ और अपनों का प्यार ही था कि संघर्षों में पढ़ाई करने के बाद अब सरकारी नौकरी कर रहे निशांत जायसवाल ने रायगढ़ से निकलकर माया नगरी मुंबई में कौन बनेगा करोड़पति के खेल में लखपति बन कर ये मुकाम अपने नाम कर लिया है।

सदी में महानायक के सामने बैठकर ये खेल खेलना स्वयं में करोड़पति बन जाने जैसा अहसास दिलाता है लेकिन रायगढ़ शहर के इस होनहार ने खेल में बड़ी रकम अपने नाम की है। धरमजयगढ़ के रेशम विभाग में काम करने वाले निशांत का केबीसी में चयन होने के बाद से परिवार को यह आस थी कि वह इस खेल में कुछ न कुछ बड़ा हासिल करेगा और की हुई पढ़ाई के साथ किस्मत ने भी निशांत का बखूबी साथ दिया।

दो दिन बाद 8 नवंबर सोमवार को सोनी टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाले केबीसी के एपिसोड में रायगढ़ शहर के निशांत का खेल प्रसारित किए जाने की अब तक जानकारी है। उसने कितनी बड़ी रकम जीत कर अपने नाम की है यह सिर्फ खेल के नियम और उसके खुद के निवेदन पर जाहिर नहीं किया जा रहा है ताकि दर्शकों का उत्साह उस दिन के लिए बना रहे। शहर के इस होनहार ने केबीसी के खेल में कामयाबी का झंडा जरूर गाड़ दिया है। उसके छोटे से परिवार में खुशियां भर भर कर आई हैं

खरसिया पुलिस की अवैध शराब पर कर्यवाई: 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, शराब बिक्री में इस्तेमाल सामग्री जब्त

रायगढ़

थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में खरसिया पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ ग्राम चारपारा में कार्रवाई की गई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चारपारा का चंद्रशेखर लहरे अपने घर के सामने महुआ शराब की अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी ने तुरंत टीम गठित कर रेड कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस टीम ने घघरा और हालाहुली में मुखबिरों से संपर्क किया और फिर चारपारा में आरोपी के ठिकाने पर पहुंची।

अचानक पुलिस को देखकर शराब पीने वाले भाग निकले, जबकि चंद्रशेखर लहरे को उसके घर के सामने महुआ शराब बेचते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 4000 रुपये है, चार पीले रंग के पांच-पांच लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई मिली। साथ ही, एक स्टील का गिलास, शराब बिक्री की रकम 60 रुपये और शराब रखने में इस्तेमाल खाली प्लास्टिक बोतलें (शराब की गंधयुक्त) भी बरामद की गईं।

आरोपी चंद्रशेखर लहरे (45 वर्ष), पिता पुनीराम लहरे, निवासी चारपारा, के खिलाफ थाना खरसिया में धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में महिला प्रधान आरक्षक सरोजनी राठौर, आरक्षक सत्यनारायण सिदार, अशोक कंवर, रमेश कुमार बरेठ और योगेश साहू ने सक्रिय भूमिका निभाई।

कार्यवाई : घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को जूटमिल पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़

जूटमिल थाना क्षेत्र में आरटीओ कर्मचारी के घर में घुसकर उत्पात मचाने और मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जूटमिल पुलिस ने इस घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, बाकी फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मामला 16 नवंबर 2024 की रात का है, जब पुनुराम लहरे (54 वर्ष) अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रहे थे। रात करीब 11:30 बजे घर के मुख्य गेट पर जोर-जोर से धक्का मारने और शराब की बोतल टूटने की आवाज सुनाई दी। बाहर जाने पर उन्होंने चार युवकों को देखा, जिनमें बसंत, मोनू और उनके दो साथी शामिल थे, जो शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गेट तोड़कर घर के अंदर घुसकर ईंट, डंडा और चाकूनुमा हथियारों से हमला कर दिया।

पुनुराम लहरे की रिपोर्ट पर जूटमिल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और अपराध क्रमांक 471/2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296, 351(2), 115(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने घटना के तुरंत बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिर तैनात किए गए। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोनू टंडन (21 वर्ष) पिता जग्गू टंडन निवासी कयाघाट बाबा कुटी के पास थाना जूटमिल और भीमसेन बसंत उर्फ भोकू (21 वर्ष) पिता प्यारी लाल बसंत निवासी कयाघाट मुक्ति धाम के सामने थाना जूटमिल को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की, जिसके आधार पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एक डंडा और ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया। मामले में साक्ष्य अनुरूप धारा 333 बीएनएस जोड़ कर गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश है। थाना प्रभारी ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई में निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ हमराह स्टाफ एएसआई राजेन्द्र पटेल, महिला प्रधान आरक्षक रेखा नागरे, , आरक्षक तरुण महिलाने, सुशील यादव, जितेश चौहान और नरेश रजत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जनसामान्य के बीच आपकी पहल सराहनीय, आगे भी करते रहे सकारात्मक रूप से कार्य-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

❐ कलेक्टर गोयल की अध्यक्षता में जिला प्रबंध समिति के सदस्य हुए निर्वाचित

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के सामान्य सभा की बैठक कलेक्ट्रेट के सृजन सभा कक्ष में आयोजित हुई। जिसमें डिप्टी कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा तथा भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्यों की उपस्थिति में जिला प्रबंध समिति के सदस्य हेतु 18 लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा। जिनमें संतोष कुमार अग्रवाल, मुकेश शर्मा, डॉ.एच.एस.उराव, डॉ.भानु प्रताप पटेल, रामनिवास मोड़ा, संतोष कुमार टिबरेवाल, डॉ.मुकुन्द अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल, प्रो. अम्बिका वर्मा, दिनेश कुमार अग्रवाल, प्रेम नारायण मौर्य, गोपी सिंह ठाकुर, डॉ.सिद्धार्थ सिन्हा, शिव कुमार शर्मा, बिरेन्द्र कुमार सिंह, संजीव चौहान, विजय अग्रवाल, दीपक डोरा शामिल थे। निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा द्वारा निर्वाचन नामावली की सदस्यों की नामांकन फार्म का मिलान किया गया। तत्पश्चात उपस्थित सदस्यों के समक्ष नाम की सूची से मिलान कर घोषणा की गई। जिला प्रबंध समिति में सभी 18 नामांकित सदस्यों को विभागीय पदेन सदस्यों का द्वारा सहमति के आधार पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने निर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए समस्त सदस्यों की सहमति से रेडक्रॉस सोसाइटी के सभी लेखा-जोखा एवं खाता लीड बैंक अधिकारी से समन्वय कर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी एक संस्था है, जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था के बीच सेतु का कार्य करते हुए शासकीय संस्थाओं को सहयोग करती है। उन्होंने कहा कि जनसामान्य के बीच आपका सकारात्मक पहल सराहनीय है, इसी प्रकार आगे भी सकारात्मक रूप से कार्य करते रहे।

टीबी मरीजों को किया गया फूड बास्केट का वितरण

❐ मरीजों को नियमित दवाई के साथ अतिरिक्त पोषण के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में आज खरसिया ब्लॉक के 50 टीबी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में टीबी बीमारी से मुक्त रहने को लेकर टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार फूड बास्केट का वितरण एस.के.एस.कंपनी, खरसिया के द्वारा किया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में टीबी उन्मूलन हेतु लक्ष्य रखा गया है। शासन द्वारा राज्य को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे है। जिसका लाभ ऐसे मरीज उठा पा रहे है। टीबी से ग्रसित लोगों के बीच फूड बास्केट का वितरण करते हुए टीबी बीमारी को लेकर जागरूक किया गया है। टीबी से लडऩे के लिए दवा के अलावा पोषण युक्त खाद्य पदार्थो का सेवन भी जरूरी है। यह बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज अब संभव है। जरूरत है तो सिर्फ लोगों को जागरूक होने कि अगर किसी प्रकार का लक्षण दिखाई दें तो व्यक्ति अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर इसका नि:शुल्क इलाज करा सकते है।

जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉक्टर जय कुमारी चौधरी, रंजना पैंकरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दिलेश्वर प्रसाद पटेल की उपस्थिति में प्लांट हेड राकेश कुमार एच.आर.एवं सी.एस.आर विभाग से संजय चौधरी, रतन साहू, शोभा नायक फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर नीरज सिंह चंदेल द्वारा खरसिया ब्लॉक के 50 टीबी मरीजों को गोद लेकर फूड बास्केट वितरण किया गया। जिसमें सभी टीबी मरीजों को नियमित दवाई के साथ अतिरिक्त पोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे मरीज शीघ्र रोग मुक्त हो सके। उक्त फूड बास्केट वितरण कार्यक्रम में प्रमिला साहू एसटीएस, टीबीएचवी सुमित पटेल एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवैध शराब तस्करों पर जूटमिल पुलिस का शिकंजा, शराब रेड की दो कार्यवाई में 2 आरोपियों से 58 पाव शराब और स्कूटी बरामद

रायगढ़

अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती दिखाते हुए जूटमिल पुलिस ने 17 नवंबर को दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 58 पाव देशी शराब और एक स्कूटी जब्त की। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें सावित्री नगर और दुर्गा चौक इलाके में छापेमारी कर तस्करों की धरपकड़ की गई। पहली कार्रवाई में सावित्री नगर मेनरोड पर महादेव चौहान पिता हरिशंकर चौहान उम्र 46 वर्ष निवासी बजरंगपारा निगम कालोनी जूटमिल को पकड़ा गया, जिसके पास से 10 पाव प्लेन और 18 पाव मसाला देशी शराब (5.040 लीटर) बरामद की गई।

वहीं, दूसरी कार्रवाई में दुर्गा चौक के पास स्कूटी (CG 13 AT 8424) से विजय टंडन पिता आंनद कुमार टंडन उम्र 38 वर्ष निवासी कयाघाट वार्ड क्र. 29 जूटमिल को गिरफ्तार किया गया। उसकी स्कूटी की डिक्की से 30 पाव देशी शराब (5.400 लीटर) जब्त हुई। दोनों आरोपियों ने शराब को अवैध रूप से बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, खीरेन्द्र जलतारे, आरक्षक तरुण महिलाने, सुशील यादव, जितेश चौहान और नरेश रजत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब तस्करों के हौसले पस्त हुए हैं और स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। पुलिस ने साफ किया है कि अवैध गतिविधियों पर यह सख्ती लगातार जारी रहेगी।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ. बी. के. चन्द्रवशी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के आरोग्यम सभाकक्ष में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त विकासखण्ड के सेक्टर सुपरवाईजर शामिल हुए।

सीएमएचओ डॉ.चन्द्रवंशी ने राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल संचालन को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा ने फाइलेरिया रोग के निदान के साथ आगामी होने वाले सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम पूर्व तैयारियों के संबंध में चर्चा करते हुए लोगों को लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत फाईलेरिया दवाई खिलाने हेतु समस्त सुपरवाईजरों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने जैविक नियंत्रण हेतु समस्त स्वास्थ्य संस्था स्तर पर लार्वा भक्षी मछली के संवर्धन हेतु हेचरी का निर्माण के संबंध में चर्चा की गई ताकि जिले में डेंगू मलेरिया एवं अन्य मच्छरों के लार्वा के पनपने को नियंत्रित किया जा सके।

प्रशिक्षण में जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. टी.जी. कुलवेदी के द्वारा मलेरिया, फाईलेरिया एवं डेंगू बीमारी के रोकथाम एवं नियंत्रण पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण मे मलेरिया, फाईलेरिया एवं डेंगू बीमारी के कारण, लक्षण, उपचार, चिकित्सकीय परामर्श एवं इलाज संबंधित निदान के बारे में चर्चा करते हुए प्रशिक्षण दिया गया। समस्त सुपरवाईजरों को अपने-अपने सेक्टरों में सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन प्रशिक्षक व मितानिनों को प्रशिक्षित करते हुए कार्यक्रम की निरंतर मानिटरिंग एवं सुपरविजन करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम जनता को जागरूक करते हुए स्वास्थ्य शिक्षा, बैगा गुनिया सम्मेलन एवं व्हीएचएनडी बैठक हेतु भी विशेष सुझाव डॉ. टी.जी. कुलवेदी के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के इस अवसर पर पी.डी. बस्तिया (जिला प्रबंधक-शहरी), निर्मल प्रसाद, गौतम प्रसाद सिदार व्ही.बी.डी. टेक्नीकल सुपरवाइजर, प्रीती शर्मा (एफएलए) के साथ अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480